न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

वाद सं0—103/2021 धारा—144 द0प्र0स0

परमेश्वर पंडित वगै0 —बनाम— बालेश्वर कुम्हार वगै0

—:आदेश:— अभियुक्ति

आवेदक परमेश्वर पंडित द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन दाखिल किया गया। आवेदन के आधार पर वाद की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए मौजा चौबे थाना चलकुशा जिला हजारीबाग के अन्तर्गत खाता सं0—168 प्लौट सं0 3528 रकबा 1.62 डी0 मधे 60 डी0 भुमि जिसकी चौहदी उ0—विपक्षिगण द0—एतवारी साव, पू0—भगवान साव, प0—रास्ता एवं सं0—168 प्लौट सं0 3528 रकबा 1.62 डी0 मधे 20 डी0 भुमि जिसकी चौहदी उ0—तलाब व गणेश कुम्हार द0—विपक्षीगण, पू0—रास्ता, प0—उभय पक्ष व हिस्सेदार वाली भूमि पर धारा 144 द0प्र0स0 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करते हुए पक्षकारों को नोटिस निर्गत कर उनसे अपना—अपना कारण पृच्छा एवं भूमि संबंधी कागजात मांग की गयी।

नोटिस प्राप्ति के पश्चात पक्षकार न्यायालय मे उपस्थित हुए तथा अपना—अपना कारण पृच्छा दाखिल कर अपना पक्ष रखा।

आवेदक अपने आवेदन पत्र में लिखित बयान दिया है कि विवादित भूमि खाता सं0—168 प्लौट सं0 3528 रकबा 1.62 डी0 मधे 60 डी0 भुमि जिसकी चौहदी उ0—विपक्षिगण द0—एतवारी साव, पू0—भगवान साव, प0—रास्ता एव सं0—168 प्लौट सं0 3528 रकबा 1.62 डी0 मधे 20 डी0 भुमि जिसकी चौहदी उ0—तलाब व गणेश कुम्हार द0—विपक्षीगण, पू0—रास्ता, प0—उभय पक्ष व हिस्सेदार वाली भूमि विपक्षीगण हड़पना चहाते है। खाता न0168 प्लॉट सं0 3528 कुल रकवा 5.79 ए0 वाली भुमि 1.गणेश कुम्हार 2.दुली कुम्हार 3.लाटो कुम्हार सभी पिता स्व0 पानो कुम्हार के नाम से सर्वे खतियान में बराबर हिस्सेदार दर्ज है,तथा दर्ज किरयेदार के मरनोपरान्त उनके कानुन वारिसों ने खाता सं0 168 की भुमि को आपस में बटवारा कर हिस्से के अनुरूप कब्जा किया गया है खाता न0 168 प्लॉट न0 3528 के खतियान के कॉलम में 1 गणेश कुम्हार 2.दुली कुम्हार 3.लाटो कुम्हार एव 4 बुधन कुम्हार को बाहिस्सा बराबर अंकित है।

द्वितीय पक्ष द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना कारणपृच्छा दाखिल किया जिसमें उल्लेख किया है कि प्रथम पक्ष के सदस्य अधिक जालसाज व झुठे और गलत आरोप के साथ वर्तमान में मुकदमा दायर किया गया है। द्वितिय पक्ष 1.बलेश्वर कुम्हार 2.किशुन कुम्हार 3.कारू कुम्हार 4.मंगर कुम्हार 5.टहल कुम्हार 6. गणेश कुम्हार 7.इन्द्रदेव पंडित खतियानी रैयत के वंशज है एवं उक्त भूमि पर इनका मालिकाना हक है तथा पिछले 30—40 वर्षो से भूमि पर दखल कब्जे में है। वाद की कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रथम पक्ष द्वारा जो याचिका दायार कि गई है उससे यह प्रतित होता है कि भुमि का विभाजन किया जा सकता है। प्रथम पक्ष (Partition Suit) पार्टीशन सूट में जा सकते है। उक्त आलोक में प्रथम पक्ष के कारणपृच्छा में दी गयी दलील का उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

उभय पक्षों के कारणपृच्छा एवं अधिवक्ताओं के दलील से स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष द्वारा विवादित भूमि का सामान्य बटवारा कर प्राप्त करने हेतु वाद दायर किया गया है, जिसका निपटारा द0प्र0स0 144 के अन्तर्गत नही किया जा

(5)

8। वादी/प्रतिवादी सामान्य बटवारा (Partition Suit) पार्टीशन सूट करने स्वतंत्र है। वादी प्रतिवादी चाहे तो मामले को सिविल कोर्ट,हजारीबाग व्यवहार न्यायालय में दायर कर निपटारा कर सकते है।

अतः वाद की कार्यवाही बिना किसी प्रभावी आदेश के समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

27/9/21

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग

27/9/21

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2023.02.08 23:43:13 +05:30
Location: 192.168.101.22